



# फतेहगढ़ पुलिस



*Meticulous Investigation & Prosecution*

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दि०- 02.12.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त पंकज वर्मा पुत्र रामकुमार निवासी नौगंवा कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद मु०अ०सं०-141/2009वाद स०- 97/2009 धारा- 21/22 NDPS एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 02.12.2024 को मा० न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 01 वर्ष 03 माह का कठोर कारावास व 05 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC - श्री दिनेश सिंह चौहान



ADGC - श्री शीलरत्न आनन्द



कोर्ट मोहरीर हे०का० सचिन कुमार



पैरोकार का० नितिन कुमार



# फतेहगढ़ पुलिस



**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

**कोतवाली फरुखाबाद**

**दि०- 02.12.2024**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अभी गुप्ता पुत्र संजू गुप्ता निवासी गंगानगर कोतवाली फरुखाबाद जिला फरुखाबाद मु०अ०सं०- 373/2020 वाद स०- 543/2020 धारा- 21/22 NDPS एक्ट को० फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 02.12.2024 को मा० न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट फरुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 08 माह 05 दिन का कठोर कारावास व 10 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC - श्री दिनेश सिंह चौहान



ADGC - श्री शीलरत्न आनन्द



कोर्ट मोहरीर हे०का० सचिन कुमार



पैरोकार का० तुलाराम



# फतेहगढ़ पुलिस



*Meticulous Investigation & Prosecution*

#OperationConviction

कोतवाली फतेहगढ़

दि०- 02.12.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सुधीर पुत्र लालाराम निवासी सिविल लाइन मडैया कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद मु०अ०सं०- 775/2007 वाद सं०- 193/2008 धारा- 147,148,436,504,506,427,452,323 भा०द०वि० कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 02.12.2024 को मा० न्यायालय एडीजे-09 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष का कारावास व 11 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC - श्री अनुज प्रताप सिंह



कोर्ट मोहरीर म० हे०का० ज्योति यादव



पैरोकार हे०का० श्याम सिंह

कोतवाली कायमगंज

दि०- 02.12.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभि०गण 1. प्रवेश पुत्र महेश शाक्य 2. महेशचन्द्र पुत्र बाबूराम 3. सुरेशचन्द्र पुत्र बाबूराम निवासी गण ग्राम पैथान कोतवाली कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद मु०अ०सं०- 116/2003 वाद सं०- 204/2023 धारा- 302/34,323/34,307/34 भा०द०वि० कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 02.12.2024 को मा० न्यायालय डी०जे० कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रवेश को 07 वर्ष की सजा व महेश, सुरेश को 05-05 वर्ष की सजा व प्रत्येक को 10-10 हजार रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



DGC - श्री श्री स्वदेश प्रताप गंगवार



कोर्ट मोहरीर हे०का० सुदेश यादव



पैरोकार उ०नि० सुभाषचन्द्र